न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1276–तीन/2011 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 19–4–2011 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 467/2008–09 अपील

श्रीमती विजयासिंह पत्नि धमेन्द्र सिंह उर्फ धूलसिंह
ग्राम एंव तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1– महिला गीता देवी सिंह पत्नि स्व. बृजेश सिंह
ग्राम एंव तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना
2– महिला कलावती पत्नि राजेन्द्र सिंह (फोत)
3– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एम0एम0बंसल)

आ दे श

(आज दिनांक 11 –8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 467/2008–09अपील में पारित आदेश दिनांक 19.4.11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रामपुर वाघेलान की आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 7.03 की महिला कलावती के नाम थी। आवेदक व्दारा तहसील न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि भूमिस्वामी महिला कलावती की मृत्यु हो चुकी है जिन्होंने बसीयतनामा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया है बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 113 अ–6/

2006–07 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 14–8–2007 से आवेदक का नामान्तण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क–1 ने अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 55/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–4–2009 से तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 467/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 19–4–2011 से अपील निरस्त कर दी तथा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 9–4–2009 को स्थिर रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि बसीयतकर्ता वाद विचारित भूमियों की भूमिस्वामी थी तथा आवेदक की सास थी एंव उनके साथ रहती आई, जिसके कारण आवेदक की सास ने बसीयत की है। तहसील न्यायालय में साक्ष्य से बसीयत प्रमाणित हुई है जिसके आधार पर तहसीलदार ने नामान्तरण किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया है एंव न्यायदान नहीं किया है । अपर आयुक्त ने भी वास्तविकता जाने बिना ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने मी मांग की।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि महिला कलावती को वाद विचारित भूमि पूर्वजों से प्राप्त है उनकी निजी भूमि नहीं है जिसके कारण वह अन्य वारिसों को छोड़कर बसीयत नहीं कर सकतीं। बसीयतनामा दिनांक 16–8–2004 फर्जी है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने सत्यता की जांच करने तथा मृतक महिला व्दारा छोड़ी गई जमीन पर नामान्तरण का हक किसे है पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है एंव अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक महिला विजया सिंह एंव अनावेदक महिला गीता देवी सिंह रिस्ते में एक ही परिवार की है तथा देवरानी–जिठानी है । तहसील न्यायालय में आवेदक व्दारा प्रस्तुत दावे में महिला गीतादेवी को पक्षकार नहीं बनाया गया, अपितु महिला कलावती पत्नि राजेन्द्र सिंह (फोत) को पक्षकार बनाया है। स्पष्ट है कि एकपक्षीय नामान्तरण कार्यवाही हुई है एंव तहसील न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही का अभिज्ञान अनावेदक क्र–1 न होने के कारण वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 55/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–4–2009 से तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 467/2008–09अपील में पारित आदेश दिनांक 19.4.11 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। आवेदक को तहसील न्यायालय में पुनः सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समुचित ढंग से रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 467/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.4.11 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर